

# BROADCAST, TELECOM & CABLE CONVERGENCE

*The convergence amidst the broadcast, telecom and cable sectors has drawn up its unique set of challenges. To address this - The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued a consultation paper on 'Regulating Converged Digital Technologies and Services -Enabling Convergence of Carriage of Broadcasting and Telecommunication services'*

## THE (DRAFT) INDIAN TELECOMMUNICATION BILL, 2022

Recently on 21st September 2022, DoT has released the Draft Indian Telecommunications 2022 Bill for public consultation to develop a modern and future-ready legal framework in telecommunication. Though the draft bill is still in its initial phases and the text/content of the bill may undergo several changes, the key provisions of the bill that may be of some significance to convergence have been discussed here.

The draft Bill is an attempt by the DoT to consolidate various legislations presently governing the telecommunication landscape in India, i.e., the Bill consolidates three separate acts which currently govern the telecommunication sector — the Indian Telegraph Act, 1885, Indian Wireless Telegraphy Act, 1933, and The Telegraph Wires (Unlawful Protection) Act, 1950. Another key reason for bringing into force a new regulatory framework is to bring the law at par with technological advancements and remove obsolete provisions from the colonial era laws it seeks to replace. The goal is to update the extant regulatory framework in keeping with the advancements and challenges in the sector. The Bill empowers the central government to govern three key aspects of telecom:

- i) telecommunication services and networks.
- ii) telecommunication equipment and infrastructure; and
- iii) Spectrum, including its assignment.

# प्रसारण, दूरसंचार और केबल कन्वर्जंस

प्रसारण, दूरसंचार और केबल क्षेत्रों के बीच कन्वर्जंस ने चुनौतियों के अपने अनूठे सेट तैयार किया है। इसे संबोधित करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने 'कन्वर्ज्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज को विनियमित करने पर एक परामर्श पत्र जारी किया है—प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं की कैरिज का कन्वर्जंस।

## भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 (मसौदा)

अभी हाल ही में 21 सितंबर 2022 को डॉट ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 को जारी किया। हालांकि मसौदा बिल अभी भी अपनी शुरूआती चरणों में ही है और बिल के पाठ/सामग्री में कई बदलाव हो सकते हैं, बिल के प्रमुख प्रावधान जो कन्वर्जंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी यहां चर्चा की गयी है।

मसौदा बिल डॉट द्वारा वर्तमान में भारत में दूरसंचार परिदृश्य को नियंत्रित करने वाले विभिन्न विधानों को समेकित करने का प्रयास है, अर्थात बिल तीन अलग-अलग अधिनियमों को समेकित करता है जो वर्तमान में दूरसंचार को नियंत्रित करते हैं—भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम 1950। एक नये नियामक ढांचे को लागू करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण कानून को तकनीकी प्रगति के बराबर लाना है और औपनिवेशिक युग के कानूनों से अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है जो इसे बदलना चाहते हैं। लक्ष्य क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नियामक ढांचे को अपडेट करना है। बिल केंद्र सरकार को दूरसंचार के तीन प्रमुख पहलुओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है:

- 1) दूरसंचार सेवायें और नेटवर्क
- 2) दूरसंचार उपकरण और ढांचा, और
- 3) स्पेक्ट्रम, इसके असाइनमेंट सहित



Telecom Regulatory Authority of India  
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)



सत्यमेव जयते

## A. LICENSING, REGISTRATION, AND AUTHORIZATION

Under the Bill, four types of permissions are identified - license, registration, authorization, and assignment (only for spectrum). While the Bill does not differentiate between the four types of permissions, it clarifies that a license is only required for providing telecommunication services or operating telecommunication networks. Registration must be obtained for establishing telecommunication infrastructure and an authorization is essential for the possession of wireless equipment. Assignment only applies to spectrum. The Bill also reasons that for specific cases such as establishing telecommunication infrastructure, a registration requirement has been introduced to simplify the process of setting it up. To ensure policy continuity, the Bill clarifies that entities licensed under the previous license conditions will be allowed to operate under their erstwhile licenses until migration.

## B. OTT COMMUNICATION/BROADCASTING SERVICES REGULATION

The OTT Communication services offer voice, video, and messaging services, that are substitutable with similar services offered by licensed TSPs. The TSPs bear the costs for the infrastructure, spectrum management and pay license fees for use of spectrum. At the same time, they need to meet Universal Services Obligations and roll-out obligations and comply with other regulations. The counterpart OTT service providers are presently not mandated to adhere to any regulatory obligations and do not have to bear any such costs. Further, TSPs have argued that OTT communication services are grabbing their SMS and voice call businesses and, therefore, should be licensed just as they are. TSPs are also required to maintain network QoS and comply with Tariff framework and are also subjected to various Government levies. As a counter argument, big tech firms argue that the services provided by OTTs and TSPs are not similar and should ideally be regulated under separate frameworks – information technology laws for OTT services and telecom laws for telecommunication services.

At present, while telecom companies need a licence to offer services, OTT platforms do not. The

## ए) लाइसेंसिंग, पंजीकरण और प्राधिकरण

बिल के तहत, चार प्रकार की अनुमतियों की पहचान की गयी है—लाइसेंस, पंजीकरण, प्राधिकरण और असाइनमेंट (केवल स्पेक्ट्रम के लिए)। जबकि विधेयक चार प्रकार की अनुमतियों के बीच अंतर नहीं करता है यह स्पष्ट करता है कि लाइसेंस केवल दूरसंचार सेवायें प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क संचालित करने के लिए आवश्यक है। दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करने के लिए पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है और वायलेस उपकरण रखने के लिए प्राधिकरण आवश्यक है। असाइनमेंट केवल स्पेक्ट्रम पर लागू होता है। विधेयक यह भी तर्क देता है कि दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने जैसे विशिष्ट मामलों के लिए, इसे स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता पेश की गयी है। नीति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, यह बिल स्पष्ट करता है कि पिछली लाइसेंस शर्तों के तहत लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को प्रवासन तक अपने पूर्ववर्ती लाइसेंस के तहत काम करने की अनुमति दी जायेगी।

## बी. ओटीटी संचार/प्रसारण सेवा विनियमन

ओटीटी संचार सेवायें आज ऑडियो, वीडियो व मैसेज सेवा प्रदान करती हैं जो लाइसेंस प्राप्त करने वाली टीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली समान सेवाओं के साथ प्रतिस्थापना योग्य हैं। टीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम प्रबंधन की लागत वहन करते हैं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं। उसी समय, उनको सार्वभौमिक सेवा दायित्वों और रोल आउट दायित्वों को पूरा करने और

अन्य विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। समकक्ष सेवा प्रदाताओं को वर्तमान में किसी भी नियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है और उन्हें किसी लागत को उठानी नहीं है। इसके अलावा, टीएसपी ने तर्क दिया है कि ओटीटी संचार सेवायें उनके एसएमएस और वॉयस कॉल व्यवसायों को हड़प रही हैं और इसलिए उन्हें वैसे ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए जैसे वे

हैं। टीएसपी को नेटवर्क क्यूओएस बनाये रखने और टैरिफ ढांचे के अनुपालन की भी आवश्यकता होती है और वे विभिन्न सरकारी शुल्कों के भी अधीन होते हैं। एक जवाबी तर्क के रूप में एक बड़ी टेक कंपनी का तर्क है कि ओटीटी और विभिन्न टीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें समान नहीं होती हैं और आदर्श रूप से अलग-अलग ढांचे के तहत विनियमित किया जाना चाहिए—यानि ओटीटी सेवाओं के लिए सूचना तकनीकी कानून और दूरसंचार सेवाओं के लिए दूरसंचार कानून।

वर्तमान में जबकि दूरसंचार कंपनियों को सेवाओं की पेशकश



Bill's intent in widening the definition of 'telecommunication services' to include OTT communication/ broadcasting/messaging services may be to bring these platforms under administrative and regulatory oversight. The inclusion of such internet-based communication platforms within the regulatory ambit has been the demand of telecom, broadcasting/ OTT industries in many countries on plank of level-playing field and is a contentious policy issue. In India also, it is a long-standing demand of the telecommunications industry on two key issues namely, (a) level-playing field and (b) network expansion costs.

However, the definition of 'telecommunication services', meaning any service provided through telecommunication, i.e., transmission, emission, or reception of any messages through wire, radio, optical or other electro-magnetic systems is all encompassing, and can potentially cover a wide range of digital platforms. Thus, bringing OTT telecommunication services and OTT platforms under the ambit of telecom services may mean that they will be subject to the regulatory regime as TSPs and would require a licence or registration to offer OTT services.

## C. INCLUSION OF BROADCASTING SERVICES RELATED PROVISIONS IN THE DRAFT INDIAN TELECOMMUNICATION BILL, 2022

The draft Indian Telecommunication Bill, 2022 has incorporated certain provisions that are related to broadcasting services. Inclusion of following provisions can be said to be enablers for convergence of carriage of Broadcasting and Telecommunication services:

- i) **Definitions:** One of the themes that emerged after examining the comments of the Consultation Paper is the need for updating the nomenclature and definitions of relevant terms in the telecommunication legal framework.
  - ◆ The Bill introduces a broad definition of 'telecommunication services', which now includes internet-based services, in-flight and maritime connectivity, interpersonal communications services, machine to machine communication services, and over-the-top (OTT) based communication services that are made available to users by telecommunication. Other telecommunication services included in the definition are:

करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ओटीटी प्लेटफॉर्मों को नहीं। ओटीटी संचार/प्रसारण/संदेश सेवाओं को शामिल करने के लिए 'दूरसंचार सेवाओं' की परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए विधेयक का इरादा इन प्लेटफॉर्मों को प्रशासनिक और नियामक निरीक्षण के तहत लाना हो सकता है। विनियामक दायरे के भीतर ऐसे इंटरनेट आधारित संचार प्लेटफॉर्मों को शामिल करना कई देशों में दूरसंचार, प्रसारण/ओटीटी उद्योगों की मांग रही है और यह एक विवादास्पद नीतिगत मामला है। भारत में भी, ये दो प्रमुख मुद्दे नामतः (ए) सबके लिए समान अवसर और (बी) नेटवर्क विस्तार लागत पर दूरसंचार उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग है।

हालांकि, 'दूरसंचार सेवाओं' की परिभाषा, जिसका अर्थ है कि दूरसंचार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा यानी तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत चुंबकीय प्रणालियों के माध्यम से किसी भी संदेश का प्रसारण, उत्सर्जन या स्वागत सभी शामिल है और संभावित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकता है। इस प्रकार, ओटीटी दूरसंचार सेवाओं और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का मतलब यह हो सकता है कि वे टीएसपी के रूप में नियामक व्यवस्था के अधीन होंगे और ओटीटी सेवाओं की पेशकश के लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

## सी. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में प्रसारण सेवाओं से संबंधित मामलों को शामिल करना

भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है जो प्रसारण सेवाओं से संबंधित है।

प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के वहन के कन्वर्जेंस के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने को समर्थकारी कहा जा सकता है:

- 1) **परिभाषा:** परामर्शपत्र की टिप्पणियों की जांच के बाद उभरे विषयों में से एक दूरसंचार कानूनी ढांचे में प्रासंगिक शर्तों के नामकरण और परिभाषाओं को अपडेट करने की आवश्यकता है।
  - ◆ विधेयक 'दूरसंचार सेवाओं' की एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करता है जिसमें अब इंटरनेट आधारित सेवायें, इन फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी, पारस्परिक संचार सेवायें, मशीन से मशीन संचार सेवायें और ओवर-टॉप (ओटीटी) आधारित संचार सेवायें शामिल हैं जो दूरसंचार द्वारा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। परिभाषा में शामिल अन्य दूरसंचार सेवायें हैं:

# CONVERGENCE POLICY

- i. broadcasting,
- ii. communication services including electronic mail, voice mail, voice, video, data, audiotex services, videotex services, fixed and mobile services,
- iii. internet and broadband services
- iv. satellite-based communication services and any other service notified by the central government to be telecommunication services.

- ◆ The term telecommunication is also defined as transmission, emission, or reception of any message by wire, radio, optical or other electro-magnetic systems. Message is defined as any sign, signal, writing, image, sound, video, data stream or information intended for telecom.



- ◆ The 'broadcasting services' are defined as the telecommunication services that are intended to be received by the general public either directly or indirectly. Further, the definition of wireless equipment includes any wireless transmitter that is capable of use for broadcasting or emission of wireless communication.
- ◆ The term 'license' is defined as a license, approval, authorization, permission by whatever name called, granted under this Act (the Bill) for providing:
- i. telecommunication services (including only such broadcasting services as specified under sub-clause (c) below);
  - ii. telecommunication network; and
  - iii. broadcasting services in Schedule 2 and any other broadcasting services as may be notified by the Central Government as requiring a license.

- ii) As per the Schedule 2 of the Bill, the broadcasting services requiring license as of the Appointed Date are –

- i. प्रसारण
- ii. इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉयस मेल, वॉयस, वीडियो, डेटा, ऑडियोटेक्स सेवाओं और वीडियोटेक्स सेवाओं, फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं सहित संचार सेवायें,
- iii. इंटरनेट व ब्रॉडबैंड सेवा
- iv. सैटेलाइट आधारित संचार सेवायें और दूरसंचार सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सेवा।

- ◆ दूरसंचार शब्द को तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत चुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी संदेश के प्रसारण, उत्सर्जन या स्वागत के रूप में भी परिभाषित किया गया है। संदेश को किसी भी संकेत, सिगनल, लेखन, छवि, ध्वनि, वीडियो, डेटा स्ट्रीम या दूरसंचार के लिए अभिप्रेत सूचना के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

- ◆ प्रसारण सेवाओं को उन दूरसंचार सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा प्राप्त की जानी है। इसके अलावा, वायरलेस उपकरण की परिभाषा में कोई भी वायरलेस ट्रांसमीटर शामिल है जो वायरलेस संचार के प्रसारण या उत्सर्जन के लिए उपयोग करने में सक्षम है।

- ◆ 'लाइसेंस' शब्द को एक लाइसेंस, अनुमोदन, प्राधिकरण, अनुमति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे इस अधिनियम (बिल) के तहत प्रदान किया गया है:

- i. दूरसंचार सेवायें (नीचे उप-खंड (सी) के तहत निर्दिष्ट केवल ऐसी प्रसारण सेवाओं सहित);
- ii. दूरसंचार नेटवर्क और
- iii. अनुसूची 2 में प्रसारण सेवायें और कोई अन्य प्रसारण सेवायें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

- ii) विधेयक की अनुसूची 2 के अनुसार, निर्धारित तिथि तक लाइसेंस की आवश्यकता वाली प्रसारण सेवायें हैं:

# CONVERGENCE POLICY

- i. Direct to Home (DTH) Services.
- ii. Community Radio Stations.
- iii. FM Radio Broadcasting Services through Private Agencies.
- iv. Internet Protocol Television (IPTV) Services.
- v. Downlinking of Television Channels.
- vi. Uplinking of Television Channels.

It is also mentioned that subject to the provisions under the Section 'Power of Central Government to amend Schedules', the Central Government may alter the above Schedule.

(Note: As the draft Telecom Bill is still under discussions and is in public domain for consultation, it is pertinent to note that the provisions mentioned in the bill may change subsequently, and accordingly some observations may not be applicable subsequent to changes in the draft bill)

## LICENSING IN BROADCASTING SECTOR

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) is the nodal ministry responsible for the issuance of all broadcasting and cable services related licenses/permissions/registrations to broadcasters and distribution platform i.e., DTH operators.

The broadcasting services, such as satellite - based DTH and Cable TV Services, are not included in the scope of authorizations under Unified License. Although, under the scope of Access Service Authorization and Internet Service Authorization, the licensee is permitted to provide IPTV service, which is a broadcasting service. This is the only broadcasting service that is dealt under the telecom license regime. The licensing regime in the telecom sector has been discussed in detail in the preceding section.

Currently, MIB is granting license/permission/registration for the provision of the following broadcasting services:

- i. डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवायें
- iii. सामुदायिक रेडियो स्टेशनों
- iii. निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवायें
- iv. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवायें
- v. टेलीविजन चैनलों की डाउनलिकिंग
- vi. टेलीविजन चैनलों की अपलिकिंग

यह भी उल्लेख किया गया है कि 'अनुसूचियों को संशोधन करने की केंद्र सरकार की शक्ति' की धारा के तहत प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार उपरोक्त अनुसूची में बदलाव कर सकती है।

(नोट: जैसाकि दूरसंचार विधेयक का मसौदा अभी भी चर्चा में है और परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में है, यह ध्यान रखना उचित है कि विधेयक में उल्लेखित प्रावधान वाद में बदल सकते हैं और तदनुसार कुछ टिप्पणियां मसौदे विल में बदलाव के वाद लागू नहीं हो सकती है।)

## प्रसारण क्षेत्र में लाइसेंसिंग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) प्रसारकों और वितरण प्लेटफॉर्मों यानी डीटीएच ऑपरेटर्स को सभी प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण जारी करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

प्रसारण सेवायें, जैसे सैटेलाइट आधारित डीटीएच और केबल टीवी सेवायें, एकीकृत लाइसेंस के तहत प्राधिकरण के दायरे में शामिल नहीं है। हालांकि एक्सेस सेवा प्राधिकरण और इंटरनेट सेवा प्राधिकरण के दायरे में, लाइसेंसधारी को आईपीटीवी सेवा प्रदान करने की अनुमति है, जो एक प्रसारण सेवा है। यह एकमात्र प्रसारण सेवा है जिसे दूरसंचार व्यवस्था के तहत निपटाया जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग व्यवस्था पर पिछले अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गयी।

वर्तमान में एमआईबी निम्नलिखित प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण प्रदान कर रहा है:

31<sup>st</sup> Edition  
**SCAT2023**  
SCAT INDIA TRADESHOW - MUMBAI  
8 - 10 October, 2023  
Jio World Convention Centre, Mumbai

NÜRNBERG MESSE  
OFFICIAL MEDIA PUBLICATION  
**SATELLITE**  
www.scatmag.com

Contact: Mob.: +91-9108208956  
Email: geeta.lalwani@nm-india.com

www.scatindiashow.com

# CONVERGENCE POLICY

**Table 1: Licenses/permissions/registrations related to Broadcasting and Cable services.**

Operator	Authorization
Uplinking and downlinking of satellite TV channels/Set-up of Teleports	Permission
Direct-to-Home (DTH) operators	License
Headend-In-The Sky (HITS) operators	Permission
Multi-system Operator (MSO)	Registration
Local Cable Operator (LCO)	Registration
Private FM broadcasters	Permission
Community Radio Stations	Permission

## Uplinking and downlinking of TV channels

These are governed by the policy guidelines laid down by MIB. Satellite TV channels are being granted permissions in two categories viz. "News and Current Affairs TV channels" and "Non-News and Current Affairs TV channels". The permission process goes through various departments and ministries after submission of the application with the prescribed processing fee, as applicable to MIB. The application processing requires checking of eligibility of the applicant company by MIB, security clearance from Home Ministry, satellite use clearance from DoS, clearance from Department of Revenue (for downlinking permission only), examination of net worth by empaneled CAs, clearances from Wireless Planning and Coordination Wing (WPC) and Network Operation and Control Center (NOCC) (for frequency assignment). Permission for teleports is also granted by MIB under the uplinking guidelines issued by MIB. The process of granting permission for setting up uplinking Hub/Teleports is quite similar to that of uplinking permission. Table 2 details out the processing fees, minimum net-worth, bank guarantee, annual renewal, permission fees and period of permission for the uplinking/downlinking of TV channels as prescribed in the guidelines.

## License to Direct to Home (DTH) operators

The Government had issued policy guidelines for DTH broadcasting services in India on 15th March 2001. As of now, apart from DD Free Dish, which is a free-to-air DTH service of Doordarshan, there are 4 private pay DTH service providers in operation in the country. DTH services make use of satellites and DTH operators are allowed to use Ku band frequencies. DTH license is issued under Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 by MIB after

## टेबल 2.2: प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण

ऑपरेटर	प्राधिकार
टेलीपोर्ट की स्थापना/सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग	अनुमति
डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर	लाइसेंस
हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) ऑपरेटर	अनुमति
मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)	पंजीकरण
लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	पंजीकरण
निजी एफएम प्रसारक	अनुमति
सामुदायिक रेडियो सेवा	अनुमति

## टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग:

ये एमआईवी द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। सैटेलाइट टीवी चैनलों को दो श्रेणियों में अनुमति दी जा रही है। 'समाचार और करंट अफेयर्स टीवी चैनल' और 'गैर समाचार और करंट अफेयर्स टीवी चैनल'। एमआईवी द्वारा लागू निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आवेदन जमा करने के बाद अनुमति प्रक्रिया विभिन्न वर्गों और मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। आवेदन प्रक्रिया में एमआईवी द्वारा आवेदक कंपनी की पात्रता की जांच, गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी, डीओएस से सैटेलाइट उपयोग मंजूरी, राजस्व विभाग से मंजूरी (केवल डाउनलिंकिंग अनुमति के लिए), सूचीबद्ध सीए द्वारा नेटवर्थ की जांच, वायरलेस प्लानिंग एंड को-ऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यूपीसी) और नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) (फ्रीक्वेंसी आवंटन के लिए) से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। एमआईवी द्वारा जारी अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत एमआईवी द्वारा टेलीपोर्ट को भी मंजूरी दी जाती है। अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया अपलिंकिंग के समान ही है। नीचे दी गयी तालिका 2.3 में दिशा निर्देशों के अनुसार टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए प्रोसेसिंग शुल्क, न्यूनतम नेटवर्थ, बैंक गारंटी, वार्षिक नवीनीकरण, अनुमति शुल्क और अनुमति की अवधि का विवरण दिया गया है।

## डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस:

सरकार ने 15 मार्च 2001 को भारत में डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किये थे। अभी तक, डीडी फ्री डिश के अलावा, जो दूरदर्शन की एक फ्री टू एयर डीटीएच सेवा है, देश में 4 निजी पे डीटीएच सेवा प्रदाता काम कर रहे हैं। डीटीएच सेवायें सैटेलाइट का उपयोग करती हैं और डीटीएच ऑपरेटरों को कू वैंड फ्रीक्वेंसियों का उपयोग करने की अनुमति है। डीटीएच लाइसेंस विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी के बाद एमआईवी द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885

# CONVERGENCE POLICY

**Table 2: Applicable fees on broadcasters/teleport operators**

Broadcasters/		Processing Teleports	Minimum Fee (in Rs)	Bank Net-worth (in Rs)	Annual Guarantee (in Rs)	Permission Renewal Fees (in Rs)	Period of Permission Fees
Uplinking of TV channels	News and Current Affairs	10,000 per channel	1 <sup>st</sup> TV Channel -20 crs Additional-5 crs	2 cr per channel	2 lakhs per channel per annum	NIL	10 years
	Non-news and Current Affairs	10,000 per channel	1 <sup>st</sup> TV Channel -5 crs Additional-2.5 crs	1 cr per channel	2 lakhs per channel per annum	NIL	10 years
Downlinking of TV channels		10,000 per channel	1 <sup>st</sup> TV Channel -5 crs Additional-2.5 crs	NIL	5 lakhs per channel per annum	10 lakhs	10 years
Teleports		10,000 per teleport	1 <sup>st</sup> TV Channel -3 crs Additional-1 crs	25 lakhs	2 lakhs per teleport per annum	NIL	10 years

clearance from different ministries/ departments. A detailed writeup on DTH Guidelines and comparison of the Unified License guidelines for telecommunication services and License guidelines for DTH service is provided in Annexure II.

### Permission to HITS operators

Policy guidelines for HITS operators have been issued by MIB on 26th November 2009. The amendment to the guidelines has been issued by MIB on 6th November 2020, through which MIB has also permitted sharing of infrastructure by HITS operators. As of now, only one service provider distributes TV channels using HITS technology. HITS operations also use satellite-based technology (uses both C and Ku band). The process for obtaining permission is similar to that of DTH services.

### Registration of MSOs and LCOs

Cable TV is a popular platform for receiving TV broadcasts. MSO receives programming services from broadcasters and re-transmits the same either directly in the form of primary subscribers or through one or more local cable operators as secondary subscribers. The signal is provided by a local cable operator (LCO) to the consumer through a cable laid up to the TV set. As on 1st March 2021, there are around 1715 MSOs registered with MIB and an estimated 1,40,000 cable operators operational in the country. The Government enacted the Cable Television Networks (Regulation) Ordinance, 1994 on 29th September 1994 that set down rules for registration of cable TV operators and introduced the

की धारा 4 के तहत जारी किया जाता है। डीटीएच दिशानिर्देशों पर एक विस्तृत लेख और दूरसंचार सेवाओं के लिए एक एकीकृत लाइसेंस दिशा निर्देशों की तुलना और डीटीएच सेवा के लिए लाइसेंस दिशा निर्देशों को अनुबंध 2 में प्रदान किया गया है।

### हिट्स ऑपरेटरों को अनुमति

एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश 26 नवंबर 2009 को एमआईवी द्वारा जारी किये गये हैं। दिशानिर्देशों में संशोधन एमआईवी द्वारा 6 नवंबर 2020 को जारी किया गया, जिसके माध्यम से एमआईवी ने हिट्स ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचा को साझा करने की अनुमति दी है। अभी तक केवल एक सेवा प्रदाता एचआईटीएस तकनीक का उपयोग करके टीवी चैनलों को वितरित कर रहा है। हिट्स संचालन भी सैटेलाइट आधारित तकनीकी (सी और केयू बैंड दोनों का उपयोग करता है) का उपयोग करता है। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया डीटीएच सेवाओं के समान है।

### एमएसओ और एलसीओ का पंजीकरण:

केवल टीवी, प्रसारण प्राप्त करने के लिए एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। एमएसओ प्रसारकों से कार्यक्रम सेवाएँ प्राप्त करता है और या तो सीधे प्राथमिक सब्सक्राइबर्स के रूप में या एक या एक से अधिक स्थानीय केवल ऑपरेटरों के माध्यम से द्वितीयक सब्सक्राइबर्स के रूप में पुनः प्रसारित करता है। एक स्थानीय केवल ऑपरेटर (एलसीओ) द्वारा टीवी सेट पर बिछाई गयी केवल के माध्यम से उपभोक्ताओं को सिगनल प्रदान किया जाता है। 1 मार्च 2021 तक एमआईवी के साथ लगभग 1715 एमएसओ पंजीकृत हैं और देश में अनुमानित 1,40,000 केवल ऑपरेटर काम कर रहे हैं। सरकार ने 29 दिसंबर 1994 को केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 को अधिनियमित किया जिसने केवल

# CONVERGENCE POLICY

**Table 3: Comparison of applicable fee structure of the DPOs**

DPOs	Processing Fee (in Rs)	Entry fee (in Rs)	Min. Net-worth (in Rs)	BG (in Rs)	License Fees (in Rs)	WPC license fees and Royalty	Period of license
MSO	1 Lakh	NIL	NIL	Positive, without quantification	NIL	NIL	10 yrs
LCO	500 as registration fees	NIL	NIL	NIL	500 as renewal fees	NIL	1 yr
DTH	N.A.	10 crores	N.A.	5 crs and after, an amount equal to License fee for two quarters	8% of AGR	As prescribed	20 yrs (renewal -10 years)
HITS	1 Lakh	10 crores	10 crores	40 crores	NIL	As prescribed	10 yrs

programming code & the advertisement code. Subsequently this ordinance was converted into the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 (hereinafter “Cable TV Act”) on 25th March 1995. Under sub-section (1) of section 4 of the cable TV Act, for operating a cable television network, a person is required to register as a cable operator with the registering authority. The head postmaster of the head Post office of the local area has been notified as to the registering authority for Local Cable Operator (LCO). With the introduction of digital addressable system (DAS), the Government has amended the Cable Television Networks (CTN) Rules, 1994 by issuing Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012 on 28th April 2012. Any company or individual who intends to provide cable television network services with DAS, it is mandatory for them to register from MIB. In response, the TV industry has witnessed the entry of huge Multi System Operators (MSOs). For registration of MSO, applicants are required to make an application to the MIB.

The various financial impositions on the existing DPOs are summarized in the Table 3.

## FM Radio

FM licensing process is transparently administered through auctions. For operating FM Radio stations, the eligible entity has to take part in the auction process for FM Radio Channels conducted by MIB. Only successful bidders in the auction are granted permission by MIB subject to fulfillment of terms and conditions.

टीवी ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए नियम निर्धारित किये और प्रोग्रामिंग कोड और विज्ञापन कोड प्रस्तुत किये। इसके बाद इस अध्यादेश को 25 मार्च 1995 को केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 (बाद में ‘केवल टीवी अधिनियम’) में परिवर्तित कर दिया गया। केवल टीवी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत केवल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन के लिए, एक व्यक्ति को पंजीकरण प्राधिकरण के साथ केवल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। स्थानीय क्षेत्र के मुख्य डाकघर के प्रधान पोस्टमास्टर को स्थानीय केवल ऑपरेटर (एलसीओ) के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएस) की शुरुआत के साथ सरकार ने 28 अप्रैल 2012 को केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2012 जारी करके केवल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) नियम 1994 में संशोधन किया है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो केवल सेवा प्रदान करना चाहता है डीएस के साथ टेलीविजन नेटवर्क सेवार्थें, उनके लिए एमआईवी से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जवाब में, टीवी उद्योग में विशाल मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) का प्रवेश हुआ है। एमएसओ के पंजीकरण के लिए आवेदकों को एमआईवी को आवेदन करना होगा।

मौजूदा डीपीओ पर विभिन्न वित्तीय आरोपणों को नीचे टेबल 3 में संक्षेपित किया गया है।

## एफएम रेडियो

एफएम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को नीलामी के माध्यम से पारदर्शी रूप से प्रशासित किया जाता है। एफएम रेडियो स्टेशनों के संचालनों के लिए पात्र इकाई को एमआईवी द्वारा संचालित एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। नीलामी में केवल सफल बोलीदाताओं को जो नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें एमआईवी द्वारा अनुमति दी जाती है।



# CONVERGENCE POLICY

**Table 4: Licenses/permissions/registrations related to Broadcasting and Cable services**

Service Provider	Permission required from Ministry/ Department before issue of license/ registration by MIB
A Multi System Operators	MHA for security clearance
B DTH Operators	i. MHA for Security clearance
C HITS Operators	ii. DoS for Satellite clearance
D Uplinking of TV channels/ Permission for Setting up of Uplinking Hub / Teleports	iii. Frequency authorization by WPC/ NOCC iv. Net worth examination by empaneled CA
E Downlinking of TV channels	i. MHA for Security clearance ii. DoS for Satellite clearance iii. Frequency authorization by WPC/ NOCC iv. Net worth examination by empaneled CA v. DoR for examination of exclusive marketing and distribution rights with the owner of TV channels in case of TV channel uplinked from abroad.
F Change in Name, Language, Logo, format of Television Channels	Before MIB grants permission, clearance required from WPC
G FM Radio Broadcasting and Community Radio Station	Clearance required for Frequency authorization by WPC/ NOCC

## Community Radio Stations

To encourage radio broadcasting for specific sections of society the Government has allowed the setting up of Community Radio Stations (CRS). They address the specific information needs of far-flung and difficult areas like tribal, hilly, and remote areas and populations having similar interests like university campuses. Today there are more than 290 operational CRS. Permission for setting up a CRS is granted by MIB, whereas the frequency is assigned on an administrative basis by WPC.

Further, processes for granting various licenses undergoes through several other Ministries and Departments (DoS/MHA/WPC/NOCC) for necessary clearances and approvals etc. These processes are detailed as follows:

It can be seen from the above Table 4 that nodal wings of DoT like Wireless Planning and Coordination (WPC) and Network Operation & Control Centre (NOCC) do play integral roles in granting clearances/licenses to the different stakeholders in the broadcast television sector of India.

## CONVERGENCE TRENDS IN TELECOM AND BROADCASTING SECTORS IN INDIA

In the cable industry, the offering of additional

## सामुदायिक रेडियो स्टेशन

समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए रेडियो प्रसारण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना को अनुमति दी है। वे दूर दराज के और दुर्गम क्षेत्रों जैसे आदिवासी, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों और विश्वविद्यालय परिसरों जैसे समान हितों वाली आबादी की विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं को संबोधित करता है। आज 290 से अधिक संचालित सीआरएस हैं। सीआरएस स्थापित करने की अनुमति एमआईवी द्वारा दी जाती है जबकि फ्रीक्वेंसी डब्ल्यूपीसी द्वारा प्रशासनिक आधार पर निर्दिष्ट की जाती है।

इसके अलावा आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन आदि के लिए कई अन्य मंत्रालयों व विभागों (डीओएस/एमएचए/डब्ल्यूपीसी/ एनओसीसी) के माध्यम से विभिन्न लाइसेंस देने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं का विवरण निम्न प्रकार से है।

उपरोक्त टेबल 4 में देखा जा सकता है कि डीओटी के नोडल विंग जैसे वायलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) और नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) भारत के प्रसारण टेलीविजन क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को मंजूरी/लाइसेंस प्रदान करने में अभिन्न भूमिका निभाते हैं।

## भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में कन्वर्जंस रूझान

केवल उद्योग में केवल नेटवर्क पर टेलीफोनी और बॉडबैंड की

# CONVERGENCE POLICY

services of telephony and broadband on the cable network is representative of convergence of telecom and broadcasting sector. Many telecom service providers are also bundling content and other value-added services like IPTV, video streaming, video conferencing, music, security services, etc. along with broadband services.

Most of the cable providers who have recently entered the wireless space, and incumbent wireless players are also eyeing the home broadband market, especially with the onset of 5G. Many Local cable operators and ISPs have tied up for providing broadband services and television content on fiber to the consumers. In addition, the convergence of broadcast services is provided through Hybrid Set Top Boxes which allow users to view digital cable programmes as well as videos from the Internet or local IP network.

There are many new technology choices for the consumers with the advent of OTT, Mobile TV, IPTV etc. Hybrid/IPTV Set-top boxes (STBs) have replaced certain RF STBs. Small Multi Service Operators (MSOs)/ Distribution Platform Operators (DPOs) may upgrade their networks to converged hybrid or IPTV networks and offer hybrid/IPTV STBs at a subsidized cost to their subscribers.

There is an increasing trend to provide broadcasting services through IPTV by Multi- System Operators (MSOs) as well as the Internet Service providers (ISPs). Although the license to operate as MSO and ISP are being given by the respective ministries i.e. Ministry of Information and Broadcasting (MIB) and Department of Telecommunications (DoT), however, as per their guidelines all telecom licensees/ Multi-system Operators before providing IPTV are required to submit a self-certified declaration to MIB, DoT and TRAI giving details such as license/ registration under which IPTV service is proposed, the start date, the area being covered, and details of the network infrastructure etc.. In the last one year around seven multi-system operators have provided intimation to the Ministry of Information and broadcasting (MIB) for providing IPTV services, but they are yet to roll out the services to their subscribers. There is a significant degree of convergence already existing in the offering of the services. Hence there is a need to align the corresponding business processes i.e., with regard to the issuance of all broadcasting and cable services related licenses/ permissions/registrations by various ministries to take full advantage of convergence resulting in ease of doing business. ■



अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के कन्वर्जंस का प्रतिनिधि है। कई दूरसंचार सेवा प्रदाता ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ सामग्री और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे आईपीटीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संगीत, सुरक्षा सेवाओं आदि को भी बंडल कर रहे हैं।

अधिकांश केवल प्रदाता जिन्होंने हालही में वायरलेस खंड में प्रवेश किया है और मौजूदा वायरलेस खिलाड़ी भी होम ब्रॉडबैंड पर नजर गड़ाये हुए हैं, खासकर 5जी शुरूआत के साथ। कई स्थानीय केवल ऑपरेटर और आईएसपी ने उपभोक्ताओं को फाइबर पर ब्रॉडबैंड सेवाओं और टेलीविजन सामग्री प्रदान करने के लिए करार किया है। इसके अलावा, प्रसारण सेवाओं का कन्वर्जंस हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से प्रदान किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल केवल कार्यक्रमों के साथ-साथ इंटरनेट या स्थानीय आईपी नेटवर्क से वीडियो देखने की अनुमति देता है।

ओटीटी, मोबाइल टीवी, आईपीटीवी आदि के आगमन के साथ उपभोक्ताओं के लिए कई नयी तकनीकी विकल्प हैं। हाइब्रिड/आईपीटीवी सेट टॉप बॉक्स (एसटीवी ने) कुछ आरएफ एसटीवी को बदल दिया है। स्मॉल मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स (एमएसओ)/डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) अपने नेटवर्क को कन्वर्ज्ड हाइब्रिड या आईपीटीवी नेटवर्क में अपग्रेड कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को सविस्डी वाली कीमत पर हाइब्रिड/आईपीटीवी एसटीवी ऑफर कर सकते हैं।

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा आईपीटीवी के माध्यम से प्रसारण सेवायें प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालांकि एमएसओ और आईएसपी के रूप में काम करने का लाइसेंस संबंधित मंत्रालयों यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) और दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा दिया जा रहा है, हालांकि उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को आईपीटीवी प्रदान करने से पहले कवर किया जाने वाला क्षेत्र और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का विवरण एमआईवी, डॉट और ट्राई को लाइसेंस/पंजीकरण जिसके तहत आईपीटीवी सेवा प्रस्तावित है, प्रारंभ तिथि, जैसे विवरण देते हुए एक स्व-प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिछले एक साल में लगभग सात मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने आईपीटीवी सेवायें प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) को सूचना प्रदान की है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने ग्राहकों के लिए सेवायें शुरू नहीं की हैं। सेवाओं की पेशकश में पहले से काफी हद तक कन्वर्जंस मौजूद है। इसलिए संबंधित व्यवसायिक प्रक्रियाओं को संरेखित करने की आवश्यकता है, अर्थात् विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभी प्रसारण और केवल सेवाओं से संबंधित लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण जारी रखने के संबंध में कन्वर्जंस का पूरा लाभ उठाने के परिणामस्वरूप व्यवसाय करने में आसानी होती है। ■